न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 230/17 निर्णय दिनांकः– 17-11-17

1. पन्नालाल पुत्र धारूराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एलकेडी(ए) तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. जगदीश सिंह पुत्र जेठमाल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 13 केपीडी तहसील छत्तरढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 28–02–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 28–02–2017 जिसके द्वारा अपीलांट का आवेदन रहते हुए गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय)नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन कराने हेतु चक 13 एलकेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 121/64 में 6 बीघा कमाण्ड भूमि के लिए वर्ष 2007 में आवेदन प्रस्तुत किया व अरनेस्ट मनी 500/– रूपये भी जरिये जी.ए. 55 से खजाना राज में जमा करवा दिये गये थे। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट का आवेदन आज दिनांक को भी जैरकार है।

अदालत मातहत अपीलांटा को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये, अपीलांट का प्रार्थना पत्र पैंडिग रहते हुए गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उपराक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 142/10 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड के लिए आवेदन किया था। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदित भूमि अन्यत्र आवंटन को आवंटन होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने से विकल्प में उपरोक्त रकबा गैर कानूनी रूप से आवंटित किया गया जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्व आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी। उक्त आराजी के आवंटन हेतु अन्य किसी काश्तकार का कोई आवेदन तो पैंडिंग नहीं है। उक्त रकबे हेतु अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती है। अदालत मातहत द्वारा जानबूझ कर नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकल्प में उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

आराजी जैर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2007 चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 142/10 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। चूंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य श्री विजय सिंह को आवंटनशुदा होने पर रेस्पोडेन्ट को विकल्प में अन्य भूमि का पात्र घोषित किया गया। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को विकल्प में चक 13 एलकेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 121/64 की 6 बीघा भूमि का आवंटन इस आधार पर किया गया कि उक्त भूमि रिकार्ड में रकबाराज दर्ज व निर्विवाद रूप से उपलब्ध है व इस आराजी हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन नियमों व प्रकिया का पूर्ण पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना साबित है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का आराजी जैर से कोई सरोकार नहीं है केवल मात्र 500/— रूपये जमा कराये जाने से अपीलांट भूमि का पात्र नहीं माना जा सकता। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा उक्त आराजी हेतु अन्य आवेदकों की प्रमाणित प्रति अदालत मातहत से चाहे जाने पर उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उक्त मुरब्बे हेतु अन्य किसी का कोई आवेदन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट का कथन कि उसके द्वारा वर्ष 2007 में आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एक मिथ्या कथन है। अतः अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन सही व विधि अनुसार किया गया आवंटन है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 409, व आबीजे 2009 पेज 201 पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को पूर्व में आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण विकल्प में विवादित आराजी चक 13 एलकेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 121/64 में 6 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गई।

(ब) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर चक 13 एलकेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 121/64 में 6 बीघा भूमि हेतु आवंटन हेतु राजस्थान उपनिवेश नियमों के तहत राजकीय भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 (1) के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया जा चुका था। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षत अंकित है। अतः यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ आवेदन प्रस्तुत कर रखा था। अतः रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अन्य आवेदकों की प्रमाणित नकल चाहे जाने पर अदालत मातहत द्वारा यह रिपोर्ट दी जानी कि अन्य कोई आवेदक नहीं है, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है।

(स) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि आराजी जैर चक 13 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/64 में 6 बीघा भूमि हेतु अन्य किसी आवेदन का आवेदन लम्बित नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों के विपरीत व विरोधाभासी कथन है।

(द) अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी के आवंटन हेतु पूर्व में ही अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर रखा था। जबकि आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट का आवेदन लम्बित चल रहा था तो ऐसी स्थिति मे आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्याय संगत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। अतः अदालत मातहत का आदेश काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या अ से द में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आराजी जैर का आवंटन समस्त आवेदकों को शामिल करते हुए व राजकीय हितों को ध्यान में रखते हुए खुली बोली में किया जाना सुनिश्चित करावें।

8. निर्णय आज दिनांक 17/11/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर